विवरण—जारी

13. आशा निकेतन अरोडा कालोनी, भोपाल	1.50	1.25	0.49
14. मरियम स्कूल फार दि मेंटली हैण्डीकैप्ड, भोपाल	1.50	1.50	0.10
15. मरियम सोसायटी, भोपाल	—	2.03	0.55
16. आशा राम ट्रस्ट, बरवानी	—	—	2.36
17. छत्तीसगढ़, बाल एवं वृद्ध कल्याण परिषद, रायपुर, एम० पी०	—	—	2.59
18. कल्याण मिलन समिति, इन्दौर	—	—	—
19. प्रमोद धाम आनन्द धाम, चित्रकूट, पो० आ० जानकीकुंड, सतना	0.62	0.62	—
नशीली दवाओं के दुरूपयोग निवारण			
20. एम० पी० वेलफेयर एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड, इन्दौर	—	0.50	—
21. एम० पी० स्टेट ब्रांच आफ दि नेशनल एसोसएशन फार दि ब्लाइंड बाबा आश्रम, 12 जाती कालोनी, लोखंडे मार्ग, इन्दौर	—	0.50	—
22. कस्तूरबा गांधी नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर	—	0.50	—
23. अखिल भारतीय रचनात्मक समाज, एम० पी०, भोपाल	2.25	1.85	2.50
24. गांधी भवन ट्रस्ट, श्यामला हिल्लस, भोपाल	10.22	6.92	3.81
25. इंडियन रैड क्रास सोसायटी डिस्ट्रिक, इन्दौर	6.82	5.45	6.30
26. एसोसिएशन फार सोशिल हैल्थ इन इंडिया, एम० पी० स्टेट, ब्रांच, ग्वालियर	1.24	0.87	0.87
27. बेरोजगार महिला सेवा समिति, जोन-3, खुरशीपुर, भिलाई, जिला दुर्ग	0.45	2.32	1.15

आवारा-बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए योजना

1802. श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वयं सेवी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे उन सुधारालयों तथा संस्थाओं की संख्या कितनी है जहां आवारा बेसहारा बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ख) क्या इस तरह के अभागे आवारा-बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) बेसहारा बच्चों के लिए किसी वर्ग के रूप में "रिमान्ड गृह" नहीं है। तथापि, बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्रीय योजना के अंतर्गत, स्वैच्छिक संगठनों को बेसहारा बच्चों के प्रशिक्षण हेतु केन्द्र चलाने के लिए 90% अनुदान दिया जाता है। इस योजना के मुख्य घटक इस प्रकार है :—

1. बेसहारा बच्चों और उनके परिवारों की पहचान;

2. दरकिनार और बेसहारा बच्चों की उपचार सुविधाओं तक पहुंच हेतु निकारणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं एकत्र करना;

3. पोषण सहायता प्रदान करना;

4. औपचारिक शिक्षा पद्धिति की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जीवन शिक्षा साक्षरता गणना की सुविधाएं प्रदान करना;

5. व्यावसायिक प्रशिक्षण;

6. आवास स्थल व स्वास्थ्य पूर्ण जीवन आदि की सुविधा का प्रयोग करना। वर्ष 1993-94 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत देश में 35 केन्द्र खोले गए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर उदारीकृत योजनाओं का प्रभाव

1803. श्री राम सिंह राठवा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदारीकृत योजनाओं से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई उपचारी कदम उठायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (घ) इसकी जांच की जा रही है।

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

1804. श्री राम सिंह राठवा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन उद्योगों और व्यापारिक संगठनों में भी आरक्षण नीति का कार्यान्वयन लागू करने पर विचार कर रही है जिन्हें सरकारी वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से भूमि के आवंटन के रूप में अथवा किसी अन्य प्रोत्साहन के रूप में सहायता मिल रही है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे उद्योगों तथा व्यावसायिक संगठनों जो सरकारी वित्तीय संस्थानों, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों से भूमि आवंटन के रूप में या प्रोत्साहन से किसी अन्य रूप में सहायता पा रहे हैं, में आरक्षण का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।

Establishment of National Minorities Development Corporation

1805. MAULANAOBAIDULLAHKHAN AZMI : Will the Minister of WELFARE be pleased to refer to the answer to Starred Question 164 given in Rajya Sabha on 5th March, 1993 and state :

(a) whether the Prime Minister has announced the Establishment of National Minorities Development Corporation with a capital of Rs. 500 crores recently ;

(b) if so, whether the said corporation has started functioning; and

(c) what is the structure and working' plan of the Corporation ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SIT ARAM KESRI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The matter is under consideration,